राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक :– प.3(212)नविवि/3/2011 पार्ट

जयपुर दिनांक :– 23 SEP 2020

आदेश

कॉविड–19 के मध्यनजर विभाग द्वारा जारी किये गये आदेशो की निरन्तरता में सक्षम स्तर से लिये गये निर्णय अनुसार राजस्थान नगर सुधार न्यास (नगरीय भूमि निष्पादन) नियम, 1974 के अन्तर्गत आवंटित भूखण्ड एवं उक्त नियमो के नियम 31 के अन्तर्गत, आवासन मण्डल अधिनियम, 1970 की धारा 60 के अन्तर्गत एवं राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर–कृषिक प्रयोजन के लिये उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 एवं भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–क एवं 90–ख के अन्तर्गत मार्च, 2021 तक निम्न छूट प्रदान/अवधि विस्तार की जाती है :–

1. आदेश क्रमांक प.5(3)नविवि/3/1999, जयपुर दिनांक 30 अप्रैल, 2020 की निरन्तरता में बकाया लीज राशि एक मुश्त 31 मार्च, 2021 तक जमा कराने पर ब्याज में शत–प्रतिशत छूट प्रदान की जाती है।
2. आदेश क्रमांक प.3(1201)नविवि/3/2012 पार्ट दिनांक 01 मई, 2020 की निरन्तरता में प्राधिकरण व न्यास द्वारा आवंटित आवासो की बकाया राशि एवं बकाया किस्त दिनांक 31 मार्च, 2021 तक एक मुश्त जमा कराने पर ब्याज व पेनल्टी में शत–प्रतिशत छूट प्रदान की जाती है।
3. आदेश क्रमांक प.3(212)नविवि/3/2011, दिनांक 1 मई, 2020 व 28 जुलाई, 2020 की निरन्तरता में भवन निर्माण स्वीकृति पट्टा/लीज डीड जारी करना, नाम हस्तान्तरण, उप–विभाजन/पुर्नगठन, भू–उपयोग परिवर्तन आदि (निलामी के प्रकरणो को छोडकर) हेतु जारी किये गये मांग पत्र के अनुसार राशि जमा कराने की समय सीमा 15 मार्च, 2020 के पश्चात है, उन प्रकरणो में 31 मार्च, 2021 तक राशि जमा कराने की छूट प्रदान की जाती है।
4. आदेश क्रमांक प.3(212)नविवि/3/2011, दिनांक 15 मई, 2020 द्वारा पट्टा/लीज–डीड, भू–उपयोग परिवर्तन आदेश एवं भवन निर्माण अनुज्ञा में निर्धारित की गई भवन निर्माण की समयावधि को 6 माह तक बढाया गया था। उक्त आदेशो की निरन्तरता में दिनांक 31 दिसम्बर, 2019 के पश्चात् समयावधि समाप्त होने वाले प्रकरणो में भवन निर्माण की अवधि 06 माह के स्थान पर 1 वर्ष तक बढायी जाती है।
5. आदेश क्रमांक प.3(212)नविवि/3/2011, दिनांक 1 मई, 2020 के द्वारा राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर–कृषिक प्रयोजन के लिये उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के अन्तर्गत पट्टा विलेख जारी होने की दिनांक से निर्माण की निर्धारित अवधि अथवा उक्त निर्माण अवधि विस्तार 31 दिसम्बर, 2019 तक समाप्त हो गई है एवं राजस्थान नगर सुधार न्यास (नगरीय भूमि निष्पादन) नियम, 1974 के अन्तर्गत आवंटन के प्रकरणो में भवन निर्माण निर्धारित अवधि में नही करने से आवंटन निरस्त हो गया है। ऐसे प्रकरणो में राशि जमा कराने की गणना दिनांक 31 दिसम्बर, 2019 तक कर निर्माण अवधि 31 दिसम्बर, 2020 तक बढाने के साथ ही भवन निर्माण स्वीकृति के अन्तर्गत भवन निर्माण अनुज्ञा स्वतः ही दिनांक 31 दिसम्बर 2020 तक बढी हुई माने जाने का आदेश क्रमांक प.3(1201)नविवि/3/2012 पार्ट दिनांक 01 मई, 2020 जारी किया गया था। उक्त आदेशो की निरन्तरता में निर्माण अवधि व निर्माण

अवधि विस्तार 31 मार्च, 2021 तक बढाये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। निर्माण अनुज्ञा अवधि स्वतः ही 31 मार्च, 2021 तक बढी हुई मानी जावे।

उक्त आदेश तुरन्त प्रवृत होगा किन्तु पूर्व में निस्तारित प्रकरणो को पुनः नही खोला जावेगा व जमा राशि पुनः नही लौटाई जावेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से

(मनीष गोयल)
शासन संयुक्त सचिव–प्रथम

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. निदेशक स्थानीय निकाय विभाग राजस्थान जयपुर।
5. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. आयुक्त, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
7. संयुक्त शासन सचिव, प्रथम/द्वितीय/तृतीय नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
8. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान जयपुर।
9. सचिव, नगर विकास न्यास समस्त, राजस्थान।
10. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी/उप विधि परामर्शी, नविवि।
11. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
12. रक्षित पत्रावली।

शासन संयुक्त सचिव–प्रथम